# ज़कातुल फित्र निकालने का समय

## ﴿وقت إخراج زكاة الفطر﴾

[ *हिन्दी* - **Hindi** - هندي ]


**इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति**

*अनुवादः* **अतार्उरहमान ज़ियाउल्लाह**



2010 - 1431

islamhouse.com

# ﴿ وقت إخراج زكاة الفطر ﴾

« باللغة الهندية »

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2010 - 1431

islamhouse.com

بسم الله الرحمن الرحيم

**बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम**

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

**हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :**

# ज़कातुल फित्र निकालने का समय

**प्रश्नः**

क्या ज़कातुल फित्र निकालने का समय ईद की नमाज़ के बाद से उस दिन के अंत तक है ?

**उत्तरः**

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान अल्लाह के लिए योग्य है।

ज़कातुल फित्र का समय ईद की नमाज़ के बाद से नहीं शुरू होता है, बल्कि वह रमज़ान के अंतिम दिन के सूरज के डूबने से

शुरू होता है, और वह शव्वाल के महीने की पहली रात है, और ईद की नमाज़ के साथ समाप्त हो जाता है ; क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसे नमाज़ से पहले निकालने का आदेश दिया है। तथा इसलिए भी कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने रिवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "जिस व्यक्ति ने उसे नमाज़ से पहले अदा कर दिया तो वह मक़बूल ज़कात है, और जिस आदमी ने उसे नमाज़ के बाद अदा किया तो वह सामान्य सदक़ों में से एक सदक़ा है।" (अबू दाऊद २/२६२- २६३, हदीस संख्या : १६०९, इब्ने माजा १/५८५, हदीस संख्या :१८२७, दारक़ुतनी २/१३८, हाकिम १/४०९)

तथा उसे इस से एक या दो दिन पहले भी निकालना जाइज़ है, इसका प्रमाण इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत है कि उन्हों ने कहा : "अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रमज़ान के सदक़तुल फित्र को अनिवार्य किया है . . . ", और उसके अंत में फरमाया : "और वे लोग (अर्थात् सहाबा किराम) उस से एक या दो दिन पहले दिया करते थे।"

जिस आदमी ने उसे उसके समय से विलंब कर दिया वह दोषी और गुनाहगार है, उसके ऊपर अनिवार्य है कि वह उसे विलंब करने से तौबा करे और उसे गरीबों के लिए निकाले।

और अल्लाह तआला ही तौफ़ीक़ प्रदान करने वाला (शक्ति का स्रोत) है।

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति, फत्वा संख्या (२८९६).